कानपुर नगर निगम

भवन/भूखण्ड के निर्मित क्षेत्रफल, प्रयोग आदि में परिवर्तन/परिवर्धन के सम्बन्ध में

सार्वजनिक सूचना

(उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली– 2000 (यथा सं ोधित) के नियम (3) एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 222 के अन्तर्गत)

नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन स्वामी/अध्यासी को उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली– 2000 (यथा सं ोधित) के नियम (3) एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सूचित किया जाता है कि दिनांक 31अगस्त2012.तक समस्त ऐसी आवासीय सम्पत्तियां जो नगर निगम सामान्य कर निर्धारित नहीं हैं अथवा उसमे परिवर्तन/परिवर्धन होनें के कारण उसके निर्मित क्षेत्रफल में वृद्वि या कमीं हो गयी है अथवा उसके उपयोग में परिवर्तन हो गया हो, उनका विवरण निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप पर भरकर उपलब्ध करा दें । सम्बन्धित प्रपत्र/प्रारूप नगर निगम के जोनल कार्यालय तथा नगर निगम की वेबसाईट पर जिनका विवरण निम्नवत है, में उपलब्ध हैं । निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप जमा करनें के उपरान्त उसकी प्राप्ति अव य प्राप्त करें ।

2. उपरोक्त के अनुसार ही जिन अनावासीय सम्पत्तियों का सामान्य कर निर्धारित नहीं है अथवा उसमें परिवर्तन/परिवर्धन होनें के कारण उसके निर्मित क्षेत्रफल में वृद्वि या कमीं हो गयी है अथवा उसके प्रयोग में परिवर्तन हो गया हो, उसका विवरण भी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप पर भरकर उपलब्ध करा दें ।

3. उपरोक्त विवरण प्रपत्र/प्रारूप, प्रयुक्त की जानें वाली दरें (जो पूर्ववत हैं) एवं अन्य आव यक सूचनायें कानपुर नगर निगम की वेबसाईट http://kmc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सीमा में कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण करनें हेतु जोनल स्तर पर वार्ड वार कर निरीक्षक/कर निरीक्षक, श्रेणी–2/अन्य कार्मिकों को उत्तरदायी बनाते हुये तैनात कर दिया गया है जिनकी सूची सम्बन्धित जोनल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है एवं इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारियों की पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में तैनाती की गयी है ।

जोन सं0	वार्ड सं0	प्रपत्र/प्रारूप प्राप्त करनें एवं जमा करनें हेतु निर्धारित स्थल	सम्बन्धित कर अधीक्षक का नाम व मोबाईल नम्बर
1	2, 21, 40, 50, 59, 84, 85, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,109	जोनल कार्यालय जोन– 1 परमट	श्री विनय मौर्या, कर अधीक्षक, 8601800821, श्रीमती किरनलता सोनकर, 8601800820
2	10, 19, 28, 29, 30, 37, 39, 44, 48, 53, 66, 67, 70, 71, 77, 86, 91, 95	जोनल कार्यालय, जोन– 2 कृश्णा नगर	श्री सुदर्शन चन्द्रा, कर अधीक्षक, 8601800818
3	12, 23, 24, 25, 31, 36, 54, 55, 58, 75, 79, 80, 81, 83, 88, 90, 96 व 108	जोनल कार्यालय जोन– 3, किदवई नगर	श्री राधे याम पटेल, 8601800819 व श्री महेन्द्र प्रताप, 8601800824
4	1, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 22, 41, 43, 49, 51, 65, 76, 78, 94, 107, 110	जोनल कार्यालय, जोन– 4 मोतीझील	श्री भूपेन्द्र सिंह बिशेन, कर अधीक्षक, 8601800826, श्रीमती रीता बाजपेयी, 8601800822
5	3, 7, 17, 33, 35, 38, 47, 52, 56, 60, 62, 64, 69, 72, 73, 74, 89, 93, 98	जोनल कार्यालय जोन –5, जागे वर अस्पताल	श्री मुनीश निगम, कर अधीक्षक, 8601800816, श्री राम बली पाल, 8601800825
6	8, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 27, 32, 34, 42, 45, 46, 57, 61, 63, 68, 82, 87	जोनल कार्यालय जोन– 6 मरियमपुर अस्पताल के सामने	श्री आर0पी0 सिंह, कर अधीक्षक, 8601800817, श्री अनिल कुमार अरूण, कर अधीक्षक, 8601800823

4.(क) **आवासीय भवनों के कर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप**

कार्यालय प्रयोगार्थ
1–आकस्मिक कर निर्धारण की पृश्ठ संख्या .....
2–आकस्मिक कर निर्धारण सूची की क्रम संख्या.....
3–पी.आई.डी. नं0 .....
हस्ताक्षर .....

कानपुर नगर निगम
प्रपत्र – "ख"
(नियम 3 देखिये)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करनें के लिये.

क. (एक) स्वामी/अध्या ाी का नाम .....
(दो) स्वामी/अध्या ाी के पिता का नाम .....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या .....
(यदि भवन/भूखण्ड का पूर्व से कर निर्धारण नहीं है तो "नया मकान" अंकित करें एवं सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख भी संलग्न करें ।)
(चार) भवन/भूखण्ड की चौहद्दी उत्तर ..... पि चम .....
दक्षिण ..... पूरब .....
(पांच) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता .....
(छः) स्वामी/अध्या ाी का अस्थाई पता .....
(सात) स्वामी/अध्या ाी का स्थाई पता .....

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा
(एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) .....
(दो) समस्त बालकनीं, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) .....
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) .....

टिप्पणी : स्नानगृह, भौचालय, पोर्टिको और जीनें द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा ।

ग. भवन का कारपेट एरिया :–
ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन) .....

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है .....
(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में) .....

ड. (क) भवन अवस्थित है । ☐

(i) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति ☐

(i) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित ☐

(ii) अन्य पक्का भवन ☐

(iii) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है । ☐

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है । ☐

(i) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणीः– कृपया उपर्युक्त (एक), या (दो) या (तीन) के खानें में जो भी सही हो उसमे सही का नि ाान लगायें ।

(च) भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है । (कोई एक उल्लेख करें)

टिप्पणीः– यदि भवन/भूमि एक वर्श से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा ।
यदि भवन/भूमि एक वर्श से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे **"रिक्त"** उल्लिखित किया जायेगा ।

(छ) भवन के निर्माण का वर्श .....

(ज) नगर आयुक्त द्वारा भवन/भूखण्ड के लिये न्यूनतम मासिक दर .....रू0 प्रति वर्ग फुट में।

(झ) भवन का वार्शिक मूल्य = 12Xनगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दरXभवन का कारपेट एरिया/भूखण्ड का क्षेत्रफल (भूखण्ड जिस पर काई निर्माण न हो) = 12Xज Xग =.....

(ञ) (एक) भवन के स्वयं अध्यासित होनें की द ाा में भवन का वार्शिक मूल्य, धारा 174(2)(ख) में यथा उल्लिखित छूट देनें के प चात .....
(दो) भवन के किराये पर होनें की द ाा में भवन का वार्शिक मूल्य, धारा 174(2)(ख) में यथा उल्लिखित वृद्वि करनें के प चात .....

(ट) भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्शिक मूल्य X सामान्य कर की दर /100.....

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोशित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं ।
दिनांक .....

अनुप्रमाणक (साक्षी)
हस्ताक्षर .....
नाम .....
पिता–माता का नाम .....
पूरा पता .....
.....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
स्थायी पता .....
.....
दूरभाश/मोबाईल नं0 .....

प्राप्ति रसीद

भवन संख्या ..... का प्रपत्र **"ख"** भवन स्वामी/अध्यासी ..... के द्वारा भवन का क्षेत्रफल ..... वार्शिक मूल्य ..... देय सामान्य कर ..... प्रस्तुत किया गया जो वार्ड संख्या ..... के प्राप्ति रजिस्टर पर क्रमांक ..... पर दर्ज है ।

दिनांक .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व नाम तथा पदनाम .....

4.(ख) **अनावासीय भवनों के कर निर्धारण हेतु वांछित सूचना हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप**

1. भवन स्वामी का नाम .....
2. सम्पत्ति का ब्यौरा .....
3. भवन की चौहद्दी .....
4. भवन आवासीय /अनावासीय .....
5. निर्माण का दिनांक .....
6. भवन यदि किराये पर है तो मासिक किराया .....
7. यदि भवन अनावासीय है तो भवन का वर्तमान निर्माण लागत मूल्य .....
8. भवन के निर्मित भाग का क्षेत्रफल (तल वार) .....
9. भवन के निर्माण की प्रकृति(तल वार) (आर.सी.सी./आर.बी./कच्चा/टिन शेड) .....
10. कुल भूमि का क्षेत्रफल व वर्तमान मूल्य .....
11. स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र .....

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम व हस्ताक्षर .....

वर्तमान निवास का पता/मो0 नम्बर/ई.मेल आई.डी. .....

प्राप्ति रसीद

भवन संख्या ..... का धारा 222 के अन्तर्गत वांछित विवरण भवन स्वामी/अध्यासी ..... के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो वार्ड संख्या ..... के प्राप्ति रजिस्टर पर क्रमांक ..... पर दर्ज है ।

दिनांक ..... प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व नाम तथा पदनाम .....

---

5. उपरोक्त विवरण प्रपत्र/प्रारूप में भरकर दी गयी सूचनाओं के परीक्षण करनें के उपरान्त नगर निगम द्वारा नियमानुसार वार्शिक मूल्यांकन निर्धारित करते हुये कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी और हितबद्व पक्ष को अवगत कराया जायेगा ।

6. यदि भवन आवासीय एवं अनावासीय दोनों प्रयोग में हो तो सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा उपरोक्त दोनों प्रारूपों पर सूचना देना अनिवार्य होगा ।

आवासीय भवनों की द ा में नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करनें के मामले में उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (यथा सं ोधित) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार भाास्ति अधिरोपित की जा सकेगी –

क– नियम–3 (1)/3(3) के अनुसार न करनें के कारण –
भवन/भूखण्ड 50 वर्ग मीटर का होनें के कारण 100/–
भवन/भूखण्ड 200 वर्ग मीटर का होनें के कारण 1000/–
भवन/भूखण्ड 400 वर्ग मीटर का होनें के कारण 5000/–
भवन/भूखण्ड 400 वर्ग मीटर से अधिक होनें के कारण 25000/–

ख– नियम–3 (4) का अनुपालन न करनें के कारण –
सम्पत्ति कर की दो गुनीं धनरा ि ा अथवा 500/– प्रति दिन की दर से जो भी कम हो । नियम 8 (1) के अन्तर्गत त्रुटि पूर्ण विवरण देनें के कारण सम्पत्ति कर की देयता में आनें वाले अन्तर की 4 गुनी धनरा ि ा ।

ग– वांछित सूचना निर्धारित समय सीमा मे न दिये जानें पर उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप भी कार्यवाही की जा सकेगी ।

(विनय कुमार राय)	(उदय नारायण तिवारी)	(एन0के0सिंह चौहान)
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	अपर नगर आयुक्त	नगर आयुक्त